जलवायु परिवर्तन पर वार्ताएं (CCN): रियो (1992) से दुबई (2023) तक

वैश्विक जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय का एक आसन्न और निर्णायक मुद्दा है। जैसे-जैसे राष्ट्र, बदलती जलवायु के प्रभावों से जूझ रहे हैं, इन महत्वपूर्ण वार्ताओं के आसपास की चर्चा एक ऐसे विचार को जन्म देती है जो सीमाओं से परे है और एक सतत भविष्य के लिए हमारे सामूहिक कार्यवाही की मांग करती है।

इस डॉक्यूमेंट में हम निम्नलिखित पर चर्चा करेंगे:

1. जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं (CCN) की शुरुआत कैसे हुई? 2
2. पेरिस समझौते के बाद की कहानी क्या रही है? 3
3. COP 28 (दुबई, संयुक्त अरब अमीरात) में क्या प्राप्त हुआ? 3
4. जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं के केंद्र में क्या बहस और मुद्दे चल रहे हैं? 4
5. जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं में भारत की भूमिका कैसे विकसित हुई है? 5
6. यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है कि जलवायु वार्ताओं से जलवायु कार्रवाईयों की सततता की तरफ बढ़ा जा सके? 6

निष्कर्ष 6

टॉपिक: एक नज़र में 7

बॉक्स, चित्र और टेबल 8

1. जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं (CCN) की शुरुआत कैसे हुई?

पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं से जुड़ी घटनाओं में महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जो **वैज्ञानिक समझ, राजनीतिक गतिशीलता और सामाजिक जागरूकता में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता** है।

- **अभूतपूर्व रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992):** रियो शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन पर **पहली बार कुछ अंतरराष्ट्रीय समझौते हुए,जो कि भविष्य के समझौतों का आधार** बने।
  - इनमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) भी शामिल है, जिसका उद्देश्य जलवायु प्रणाली में **"खतरनाक" मानवीय हस्तक्षेप** को रोकना है।
  - UNFCCC 1994 में लागू हुआ था। यह **ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने** के लिए **हस्ताक्षरकर्ताओं को कानूनी रूप से बाध्य नहीं करता है** और साथ ही यह GHG उत्सर्जन में कमी करने के लिए कोई लक्ष्य या समय सीमा भी निर्धारित नहीं करता है।
  - हालांकि, UNFCCC का अनुसमर्थन करने वाले देशों के बीच **लगातार बैठकों की आवश्यकता** होती है, जिन्हें **कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज या COP के रूप में जाना जाता है।** (COP1 1995 में बर्लिन में हुआ था)
- **पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी जलवायु संधि (1997) क्योटो में हुई:** ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जापान में COP3 सम्मेलन हुआ था ,जिसमें **क्योटो प्रोटोकॉल** को अपनाया गया था।
  - इस **कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि** के अनुसार, **विकसित देशों को वर्ष 1990 के स्तर से औसतन 5% उत्सर्जन कम** करना होगा।
  - लेकिन यह प्रोटोकॉल **विकासशील देशों** को कार्रवाई करने के लिए **बाध्य नहीं करता है।** इन विकासशील देशों में उच्च कार्बन उत्सर्जक देशों **चीन और भारत सहित अन्य देश** भी शामिल हैं जिनपर यह बाध्यकारी दायित्व आरोपित नहीं करता है।
  - यह देशों के लिए **उत्सर्जन इकाइयों का व्यापार करने** और **सतत विकास** को प्रोत्साहित करने के लिए एक **कार्बन बाजार** का निर्माण भी करता है, जिसे **"कैप एंड ट्रेड"** के रूप में जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने और उसका क्रियान्वयन करने के लिए देशों को आवश्यक रूप से नीतियां बनानी चाहिए।
- **मराकेश समझौते (2001) में विकासशील देशों पर ध्यान:** इसके तहत विकासशील देशों की क्षमताओं का निर्माण करने और अल्प विकसित देशों (LDC) के लिए कोष, विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF) और अनुकूलन निधि (Adaptation Fund) के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया गया।
- **क्योटो 2.0 (2005) के लिए वार्ताओं की शुरूआत :** बाली, इंडोनेशिया में COP13 से पहले, **संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC)** ने एक मजबूत तर्क के साथ एक नई रिपोर्ट जारी की, जिसमें पुष्टि की गई कि **ग्लोबल वार्मिंग होने का "सर्वाधिक संभाव्य" कारक मानवीय गतिविधियां है।**
  - COP13 के बाद पक्षकारों ने **बाली एक्शन प्लान** को अपनाया, जिसके तहत 2009 तक एक नए जलवायु समझौते का मसौदा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया।
- **कैनकुन (2010) में तापमान लक्ष्य निर्धारित :**
  - **कैनकुन समझौते में पहली बार वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे** रखने के प्रति देशों ने प्रतिबद्धता दिखाई।
  - समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन के शमन और उसके प्रति अनुकूलन में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए **100 बिलियन डॉलर का ग्रीन क्लाइमेट फंड भी स्थापित किया गया।**

> **जलवायु के विघटन से बचने के लिए दीर्घकालिक योजना, धैर्य और सहयोग जैसे विचारों कों अपनाने की आवश्यकता होगी। हमें नींव रखनी ही होगी, यद्यपि हो सकता है कि हम यह नहीं जानते हों कि छत कैसे बनाई जाएगी।**
>
>
>
> **- ग्रेटा थन्बर्ग**

बॉक्स 1.1. ऐतिहासिक क्षण: द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट (2015)

COP21 में, जिसे 196 देशों द्वारा समर्थित, **पेरिस समझौते** के रूप में जाना जाता है,विशेषज्ञों द्वारा इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक जलवायु समझौता कहा जाता है।

- पिछले समझौतों के विपरीत, इसमें लगभग **सभी** विकसित और विकासशील **देशों को उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता** है।
  - हालांकि, **देश अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित कर सकते हैं** और उन देशों के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए **कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं स्थापित** किया गया है।
- इस समझौते के तहत, देशों को **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान** (NDC) के रूप में निर्धारित एक **लक्ष्य प्रस्तुत** करना होता है।
- **नवंबर 2016** में लागू हुए पेरिस समझौते का मिशन, **वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना** और इसे **1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे** रखने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।

2. पेरिस समझौते के बाद की कहानी क्या रही है?

- **पेरिस समझौते के लिए निर्धारित किए गए नियम (2018):** पोलैंड के **केटोविस में COP24 से ठीक पहले,** IPCC की एक नई रिपोर्ट जारी की गई। जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर औसत वैश्विक तापमान **पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ता** है तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसमें तेज तूफान और खतरनाक हीट वेव्स आदि घटनाएँ भी शामिल होंगे। **IPCC के अनुमान के अनुसार,** औसत वैश्विक तापमान वृद्धि **2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार** कर सकती है।
  - इस रिपोर्ट की चेतावनी के बावजूद भी **देशों** ने इन लक्ष्यों कों पूरा करने के प्रति **अपनी सहमति व्यक्त नहीं** की।
  - हालांकि, उन्होंने पेरिस समझौते को लागू करने के लिए **नियमों** पर काफी हद तक **समझौता** कर लिया, इसमें उन्होंने इस प्रश्न का समाधान भी कर लिया कि इन **देशों द्वारा अपने उत्सर्जन की रिपोर्ट किस प्रकार करनी चाहिए।**
- **ग्लासगो (2021) में 1.5°C का लक्ष्य 'जीवित रखा गया':** COP26 में, **ग्लासगो जलवायु संधि** हुई। जिसमे **संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते** के तहत पहली बार देशों से **कोयले के उपयोग और जीवाश्म ईंधन पर मिलने वाली सब्सिडी को कम करने** का आह्वान किया गया - साथ ही देशों की सरकारों से वर्ष 2022 के अंत तक उत्सर्जन में कटौती के **अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्रस्तुत** करने का आग्रह किया गया।
  - इसके अलावा, **अंततः** प्रतिनिधियों ने **वैश्विक कार्बन बाज़ार के लिए नियम** स्थापित किए।
- **मिस्र में 'ब्रेकथ्रू ऑन लॉस एंड डैमेज बट लिटिल एल्स' (2022):**
  - **शर्म अल-शेख में हुए COP27 में,** देशों ने **पहली बार** जलवायु परिवर्तन के कारण **गरीब और सुभेद्य देशों को होने वाली हानि और क्षति की भरपाई करने** के लिए **एक कोष स्थापित करने** पर अपनी सहमति व्यक्त की। हालांकि इसे **लागू करने से सम्बंधित विवरण प्रस्तुत करने के बारे में अभी भी कोई निर्णय नहीं** किया गया है।
  - **इसके अतिरिक्त पहली बार,** सम्मेलन की अंतिम विज्ञप्ति में **वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा** जलवायु संकट से निपटने के लिए **अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने का आह्वान किया गया है।**
  - हालांकि, देश सभी जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुए, और **2025 तक कार्बन उत्सर्जन की चरम सीमा तक पहुंचने के लक्ष्य को विज्ञप्ति से हटा दिया** गया।

बॉक्स 2.1. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC)

IPCC संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। इसका कार्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है।

1988 में IPCC की स्थापना के बाद से अभी तक 6 संश्लेषित रिपोर्टें आ चुकी हैं:

- प्रथम आकलन रिपोर्ट का अवलोकन (1990)
- UNFCCC के अनुच्छेद 2 की व्याख्या करने के लिए प्रासंगिक वैज्ञानिक-तकनीकी सूचना पर संश्लेषित IPCC की द्वितीय आकलन रिपोर्ट (1995)
- तीसरी आकलन रिपोर्ट की संश्लेषित रिपोर्ट (2001)
- चौथी आकलन रिपोर्ट की संश्लेषित रिपोर्ट (2007)
- पांचवीं आकलन रिपोर्ट की संश्लेषित रिपोर्ट (2014)
- छठी आकलन रिपोर्ट की संश्लेषित रिपोर्ट (2023)

3. COP 28 (दुबई, संयुक्त अरब अमीरात) में क्या प्राप्त हुआ?

देशों ने "उचित, व्यवस्थित और समतापूर्ण तरीके" से **जीवाश्म ईंधन के उपयोग से दूर होने** और अपनी कार्रवाई को तीव्र करने पर सहमति दिखाई हैं। ऐसा समझौता **पहली बार** हुआ है जब **संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करने** का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

- **हानि और क्षति (Loss & Damage) कोष:** इस कोष का उद्देश्य **सुभेद्य विकासशील देशों** को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से होने वाली **आर्थिक और गैर-आर्थिक हानि और क्षति** से अनुक्रिया करने में सहयोग करना है।
  - **विश्व बैंक** हानि और क्षति कोष का प्रबंधन करेगा।
  - घोषणा के बाद से कई देशों ने इस कोष में **700 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का सहयोग करने की प्रतिज्ञा की है।
- **वैश्विक जलवायु वित्त फ्रेमवर्क पर घोषणा:** यह विकसित देशों को प्रति-वर्ष **100 अरब डॉलर** का जलवायु **वित्त एकत्रित करने और उपलब्ध कराने** जैसी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में सहयोग करेगा। जिससे शमन कार्रवाई जैसे कार्यों को सार्थकता से पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
- **वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता हेतु प्रतिज्ञा :** इस पर 118 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर स्थापित **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करके कम से कम 11,000 GW तक करना और वैश्विक ऊर्जा दक्षता में सुधार दर को दोगुना कर 4% अधिक** करना है।
- **अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य:** COP 28 का उद्देश्य अनुकूलन क्षमता में वृद्धि करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि अनुकूलन के लिए किए जाने वाले कार्य भविष्य में विश्व को जलवायु के प्रति रेजिलिएंट बनाते हो ।
- **ग्लोबल स्टॉकटेक (GST):** स्टॉकटेक एक **पांच वर्षीय प्रक्रिया** है, जिसे पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के संदर्भ में की गई प्रगति की जांच करने और ग्लोबल वार्मिंग के शमन के लिए **राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाओं के अगले चरण की सूचना प्रदान** करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन **प्रतिज्ञाओं को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** के रूप में भी जाना जाता है।
  - COP28 के तहत पेरिस समझौते का **पहला वैश्विक स्टॉकटेक** चिह्नित किया गया है।

बॉक्स 3.1. जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं (CCN) के प्रमुख सिद्धांतों का सारांश

ये **सिद्धांत क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते** जैसे समझौतों से प्राप्त हुए हैं, जो जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक अनुक्रिया के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं।

- **साझे लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताएं (CBDR-RC):** इस सिद्धांत के अनुसार, **जलवायु परिवर्तन से निपटना सभी देशों की एक साझा जिम्मेदारी** है।
  - हालांकि, इसके तहत यह भी स्वीकार किया जाता है कि **ऐतिहासिक रूप** से देखा जाए तो विभिन्न देशों का **ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भिन्न-भिन्न योगदान** रहा है और इन देशों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता भी अलग-अलग है।
  - इसलिए इसके तहत **विकसित देशों से अधिक कार्रवाई** करने और **विकासशील देशों को सहायता प्रदान** करने की अपेक्षा की जाती है।
- **समता और निष्पक्षता:** यह सिद्धांत **शमन और अनुकूलन प्रयासों के लिए एक समतामूलक दृष्टिकोण** को अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** देशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अनुकूलन प्रयासों और प्रदान किये गए या प्राप्त की गई सहायता के बारे में **पारदर्शितापूर्ण रिपोर्ट** प्रस्तुत करें।
  - इसके अंतर्गत **देशों की प्रगति का आकलन** और समीक्षा करने के लिए एक **जवाबदेही तंत्र** भी विद्यमान हैं।
- **हानि और क्षति(L&D) तथा अनुकूलन:** इन वार्ताओं में **विशेष रूप से सुभेद्य देशों** के लिए **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन** और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों के कारण **हानि और क्षति से संबंधित मुद्दों** को संबोधित किया गया।

4. जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं के केंद्र में क्या बहस और मुद्दे चल रहे हैं?

जलवायु परिवर्तन पर होने वाली वार्ताएं जटिल और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के विभिन्न हित, दृष्टिकोण और विकास के स्तर शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन पर चल रही वार्ताओं के केंद्र में **कुछ बहस और मुद्दे** नीचे दिए गए हैं-

- **जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार देश कौन से हैं?**
  - इतिहास मायने रखता है क्योंकि **औद्योगिक क्रांति** की शुरुआत के बाद से **उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की संचित मात्रा** का संबंध पहले से ही हो चुकी 1.2°C तापमान वृद्धि से है।
    - » **23 संपन्न विकसित देश (USA, जर्मनी आदि)** ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जित CO_2 की कुल मात्रा के आधे के लिए जिम्मेदार हैं।
    - » **150 से अधिक देश (चीन, भारत और अन्य)** शेष आधी मात्रा के लिए जिम्मेदार हैं।
- **क्या वर्तमान लक्ष्य और कार्रवाई पर्याप्त हैं?**
  - पक्षकारों के **वर्तमान NDCs पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं,** और वर्तमान NDCs के होते हुए भी सदी के अंत तक लगभग 2.7°C तक के तापमान में वृद्धि होने का अनुमान है।
  - इसलिए, **सभी पक्षकारों, विशेष रूप से विकसित देशों** द्वारा **अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और कार्रवाईओं की आवश्यकता** है, साथ ही वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए NDCs के तहत लक्ष्यों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है।
  - इसके लिए विकासशील देशों द्वारा उत्सर्जन के शमन और अनुकूलन के प्रयासों में सहयोग करने के लिए **जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण में वृद्धि करने** की भी आवश्यकता है।
- **जलवायु वित्त पर बहस: विकासशील देश** निम्न कार्बन अर्थव्यवस्थाओं की तरफ संक्रमण करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अनुकूलन के लिए विकसित देशों से **वित्तीय सहायता प्राप्त करने के महत्व पर जोर देते हैं।**
  - विकसित देशों द्वारा **विकासशील देशों को** जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता करने के लिए **प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर का योगदान** देने का वादा किया गया था। विकसित देशों द्वारा **इस वादे को पूरा ना करने के कारण** भरोसे में कमी आयी है। **2019 तक, केवल लगभग 3 बिलियन डॉलर का योगदान दिया गया है।**
  - ऐसा अनुमान है कि साझा जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को हरित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिवर्ष 5-7 ट्रिलियन डॉलर** की आवश्यकता है।
- **हानि और क्षति का मुद्दा:** यह जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली **अपरिवर्तनीय हानि और क्षति की प्रतिपूर्ति** से संबंधित है, जो विशेष रूप से **जलवायु परिवर्तन** के सबसे गंभीर प्रभावों का सामना करने वाले सुभेद्य देशों और समुदायों को प्रदान की जाती है।
  - इसमें **दायित्व पर चर्चा और जिन प्रभावों को अनुकूलित या शमित नहीं किया जा सकता है, उनको कैसे संबोधित किया जाए** जैसे विषय शामिल हैं।
- **ग्रीनवॉशिंग का मुद्दा प्रभावी जलवायु कार्रवाई में एक बाधा है: ग्रीनवॉशिंग जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए अपनाए गए प्रयासों पर हो रही प्रगति की झूठी तस्वीर प्रस्तुत करता है,** जिससे विश्व को आपदा की ओर धकेलता है, साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रति गैर-उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार दर्शाने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत करता है।
- **राष्ट्र अनुकूलन उपायों को किस प्रकार अपना रहे हैं?** इस वार्ता में इस बात पर विचार किया जाता है कि **राष्ट्र, विशेष रूप से सुभेद्य क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन कैसे कर सकते** हैं।
  - **इसमें वित्तीय सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण** पर चर्चा शामिल है।
  - **पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7.1** का उद्देश्य **"विश्व की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना,** लचीलेपन को मज़बूत करना और जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता को कम करना है।"
- **आर्थिक हित बनाम पर्यावरणीय उत्तरदायित्व**
  - **जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर** कुछ देश अपनी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के भय से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ तीव्र संक्रमण का प्रतिरोध कर सकते हैं।
- **कार्बन बाजार और ऑफसेटिंग: कार्बन बाजार पर होने वाली बहस में तंत्र की प्रभावशीलता, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता** जैसे विषय पर चर्चा शामिल है, जो देशों या कंपनियों को अन्य क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से हुए उत्सर्जन को ऑफसेट करने की अनुमति देते हैं।
  - अभी तक **देश वैश्विक कार्बन बाज़ार** के लिए नियमों पर **सहमति देने में विफल** रहे हैं।
  - **अमेरिका ने नियमों के प्रति हल्के दृष्टिकोण का समर्थन किया** जिसे यूरोपीय संघ, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों ने COP28 में अवरुद्ध कर दिया।

> **"मैं अक्सर काल्पनिक समस्याओं का समाधान करने वाले काल्पनिक किरदार निभाता हूं। मेरा विश्वास है कि मानव जाति ने भी जलवायु परिवर्तन को उसी तरह से देखा है, जैसे कि यह कोई कल्पना मात्र हो।"**
>
>
>
> **- लियोनार्डो डिकैप्रियो**

बॉक्स 4.1. एक छोटी सी वार्ता! कार्बन बाजार

5. जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं में भारत की भूमिका कैसे विकसित हुई है?

चूंकि भारत **ग्रीनहाउस गैसों** का **तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश** और **विकासशील विश्व का नेतृत्वकर्ता है** इसलिए **वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं में भारत एक प्रमुख हितधारक है।**

- **1990 - 2008 (UNFCCC 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997):** इस चरण के दौरान, भारत की वार्ता मुख्यतः **उत्तर-दक्षिण बहस** में उलझी हुई थी, जिसमें अप्रत्याशित जलवायु संकट का **ऐतिहासिक उत्तरदायित्व** उत्तरी विकसित विश्व द्वारा अपनाई गई विकास प्रक्रिया को दिया गया।
  - **इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए समता के मुद्दे; सामाजिक-आर्थिक विकास** के लिए अपने कॉर्बन स्पेस की सुरक्षा के साथ-साथ विकसित देशों को **CBDR के सिद्धांत** के तहत कड़ी कार्रवाई करने के लिए दबाव डालना था।
- **2009 - 2015 (कोपेनहेगन समझौता 2009, पेरिस समझौता 2015): आर्थिक विकास** के मजबूत आवेगों के कारण **भारत की जलवायु नीति में उल्लेखनीय बदलावों** को अपनाना इस चरण की विशेषता है।
  - **इस दौरान ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन** (BASIC) **समूह** का गठन हुआ और इन देशों से यह अपेक्षा की गई कि वे **वैश्विक जलवायु शासन प्रणाली के परिणामों को प्रभावित** करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।
  - विकसित देशों को इस स्थिति को स्वीकार कराने की अपेक्षा की गई कि **विकासशील देशों** को अपनी क्षमताओं के अनुरूप स्वैच्छिक आधार पर **वैश्विक उत्सर्जन के शमन हेतु अपनाए गए प्रयासों में भाग लेना चाहिए।**
- **2015 के बाद:** भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान** (NDC) **लक्ष्यों को प्राप्त** करने के लिए **विभिन्न उपायों को अपनाने** पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।
  - **ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021** (COP26) **में भारत द्वारा नेट ज़ीरो अपनाने हेतु संकल्प:** वर्ष 2070 तक, भारत नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

टेबल 5.1. जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया में भारत द्वारा उठाए गए कदम

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुक्रिया	राष्ट्रीय स्तर पर अनुक्रिया
➢ **वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को अपनाने** की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए भारत ने 2015 में **COP21 में फ्रांस** के साथ **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** (ISA) की शुरुआत की। ➢ **2019 में,** भारत ने एक बहु-हितधारक वैश्विक साझेदारी के रूप में **आपदा रोधी अवसंरचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन** (CDRI) की शुरुआत की। ➢ **2021 में,** भारत आधिकारिक तौर पर **प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन** (HAC) में शामिल हो गया। इस समूह का लक्ष्य **विश्व के 30% स्थलीय, मीठे जल, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण** और बचाव करना है। ➢ भारत ने द्विपक्षीय स्तर पर यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया के साथ हरित साझेदारियां स्थापित की हैं।	➢ **2008 के जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना** (NAPCC) ने **जलवायु परिवर्तन के जटिल मुद्दे से निपटने के लिए** एक व्यापक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की। ➢ भारत **नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर** (NICRA) के तहत कृषि क्षेत्र में अनुकूलन पर विशेष ध्यान दे रहा है। ➢ भारत ने **जलवायु वित्त** प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय अनुकूलन कोष** (NAP) की स्थापना की है, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रकों के लिए कर-मुक्त अवसंरचना बांड आदि की शुरुआत की है।

COP28 में भारत की पहलें

ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव (GGCI)	**औद्योगिक संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह (LeadIT 2.0)**	**ग्लोबल रिवर सिटीज़ एलायंस (GRCA)**

6. यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है कि जलवायु वार्ताओं से जलवायु कार्रवाईयों की सततता की तरफ बढ़ा जा सके?

जलवायु वार्ताओं से सतत जलवायु कार्रवाईयों को सुनिश्चित करने के लिए **रणनीतियों, प्रतिबद्धताओं और सहयोगात्मक प्रयासों को एक साथ अपनाने की आवश्यकता है।**

- **जलवायु वित्त को बढ़ाना:** विकसित देशों द्वारा जलवायु शमन की दिशा में 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष योगदान देने का लक्ष्य शीघ्रता से पूरा करने की आवश्यकता है।
- **राष्ट्रीय नीतियों में जलवायु कार्रवाई का एकीकरण:** देशों को **ऊर्जा, परिवहन और कृषि** जैसे विभिन्न क्षेत्रकों से सम्बंधित राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं में जलवायु संबंधी विचारों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
  - **संधारणीय क्षेत्रकों में निवेश को प्रोत्साहित करना:** इसके लिए हरित नौकरियां और व्यवसायों को बढ़ावा देना चाहिए।
  - वित्तीय प्रणाली में **जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों को शामिल** करना।
- **क्षमता निर्माण:** वित्तीय तंत्र की परिचालन इकाइयों जैसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा **इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों** (INDC) को प्राप्त करने और अपडेट करने के लिए क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **विकासशील देशों के प्रयासों को बढ़ाना:** यद्यपि वर्तमान स्थिति के लिए विकसित देशों को अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है। विकसित देशों की तरह विकासशील देशों को अपने विकास के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले मार्गों को नहीं दोहराना चाहिए।
- **मजबूत बाजार तंत्र:** महत्वाकांक्षी लक्ष्य वाले देशों द्वारा बाजार तंत्र को अपनाने के लिए कार्बन बाजार के नियमों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं के इस गतिशील परिदृश्य में 'जागरूकता से तात्कालिकता तक' के विचार का एक ऐतिहासिक विकास हुआ है। उत्सर्जन लक्ष्यों, वित्तीय प्रतिबद्धताओं और अनुकूलन पर चल रही निरंतर बहस ने वैश्विक सहयोग के उत्कृष्ट संतुलन को दर्शाया है। भारत ने समता और स्थिरता की वकालत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन करते हुए समावेशी समाधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं को स्थायी कार्रवाई के रूप में परिवर्तित किए जाए इसके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों, पारदर्शी निगरानी और एकीकृत राष्ट्रीय नीतियों का एक साथ संयोजन करना अनिवार्य है।

> **आप जो करते हैं उससे बदलाव आते हैं और आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं।**
>
>
>
> **- डॉ. जेन गुडॉल**

टॉपिक: एक नज़र में

जलवायु परिवर्तन पर वार्ताएं (CCNs): रियो (1992) से दुबई (2023) तक

इन महत्वपूर्ण वार्ताओं के आसपास की चर्चा एक ऐसे विचार को जन्म देती है जो सीमाओं से परे है और एक सतत भविष्य के लिए हमारे सामूहिक कार्यवाही की मांग करती है।

CCNs: रियो (1992) से पेरिस (2015) तक

- **अभूतपूर्व रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992),** जो कि **भविष्य के समझौतों का आधार** बने।
- **पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी जलवायु संधि (1997) क्योटो में हुई,** जिसमें **क्योटो प्रोटोकॉल** को अपनाया गया था।
- **मराकेश समझौते (2001) में विकासशील देशों पर ध्यान:** अल्प विकसित देशों (LDC) के लिए कोष और अनुकूलन निधि (Adaptation Fund) के माध्यम से।
- **कैनकुन (2010) में तापमान लक्ष्य निर्धारित: कैनकुन समझौते में पहली बार वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे** रखने के प्रति देशों ने प्रतिबद्धता दिखाई।

COP 28 (दुबई, संयुक्त अरब अमीरात)

- देशों ने "उचित, व्यवस्थित और समतापूर्ण तरीके" से **जीवाश्म ईंधन के उपयोग से दूर होने** और अपनी कार्रवाई को तीव्र करने पर सहमति दिखाई हैं। ऐसा समझौता **पहली बार** हुआ है जब **संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करने** का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं के केंद्र में क्या बहस और मुद्दे चल रहे हैं?

- **जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार देश कौन से हैं?**
- **क्या वर्तमान लक्ष्य और कार्रवाई पर्याप्त हैं?**
- **जलवायु वित्त पर बहस:** कौन किसका कितना ऋणी है?
- **हानि और क्षति कोष को कैसे वित्तपोषित तथा संचालित किया जाना चाहिए?**
- **प्रभावी जलवायु कार्रवाई में बाधा के रूप में ग्रीनवॉशिंग को कैसे दूर किया जाए?**
- **राष्ट्र अनुकूलन उपायों को किस प्रकार अपना रहे हैं?**
- किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाती है - राष्ट्र के **आर्थिक हित को या पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को?**
- **क्या कार्बन बाज़ार** वैसे ही काम कर रहे हैं जैसी उनकी कल्पना की गई थी?

CCNs: पेरिस (2015) से दुबई (2023) तक

- पोलैंड के **केटोविस में COP24 से ठीक पहले पेरिस समझौते के लिए निर्धारित किए गए नियम (2018)।**
- **ग्लासगो (2021) में 1.5°C का लक्ष्य 'जीवित रखा गया':** COP26 में, **ग्लासगो जलवायु संधि** हुई, जिसमें देशों की सरकारों से वर्ष 2022 के अंत तक उत्सर्जन में कटौती के **अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्रस्तुत** करने का आग्रह किया गया।
- **मिस्र में 'ब्रेकथ्रू ऑन लॉस एंड डैमेज बट लिटिल एल्स' (2022)**

जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं में भारत की भूमिका

- **1990 - 2008 (UNFCCC 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997):** इस चरण के दौरान, भारत की वार्ता मुख्यतः **उत्तर-दक्षिण बहस** में उलझी हुई थी, जिसमें अप्रत्याशित जलवायु संकट का **ऐतिहासिक उत्तरदायित्व** उत्तरी विकसित विश्व द्वारा अपनाई गई विकास प्रक्रिया को दिया गया।
- **2009 - 2015 (कोपेनहेगन समझौता 2009, पेरिस समझौता 2015): आर्थिक विकास** के मजबूत आवेगों के कारण **भारत की जलवायु नीति में उल्लेखनीय बदलावों** को अपनाना इस चरण की विशेषता है।
- **2015 के बाद:** भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) लक्ष्यों को प्राप्त** करने के लिए **विभिन्न उपायों को अपनाने** पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

यह सुनिश्चित करना कि जलवायु वार्ताओं से जलवायु कार्रवाईयों की तरफ बढ़ा जाए

- **जलवायु वित्त को बढ़ाना।**
- **राष्ट्रीय नीतियों में जलवायु कार्रवाई का एकीकरण।**
- **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संस्थाओं का क्षमता निर्माण।**
- **विकासशील देशों के प्रयासों को बढ़ाना।**
- **मजबूत बाजार तंत्र का विकास करना।**

बॉक्स, चित्र और टेबल

बॉक्स 1.1. ऐतिहासिक क्षण: द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट (2015) 2

बॉक्स 2.1. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) 3

बॉक्स 3.1. जलवायु परिवर्तन पर वार्ताओं (CCN) के प्रमुख सिद्धांतों का सारांश 4

बॉक्स 4.1. एक छोटी सी वार्ता! कार्बन बाजार 5

टेबल 5.1. जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया में भारत द्वारा उठाए गए कदम 6

39 in Top 50 Selection in CSE 2022

1 AIR
ISHITA KISHORE

2 AIR
GARIMA LOHIA

3 AIR
UMA HARATHI N

हिंदी माध्यम में 40+ चयन CSE 2022 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

66 AIR
KRITIKA MISHRA

85 AIR
BHARAT JAI PRAKASH MEENA

105 AIR
DIVYA

120 AIR
GAGAN SINGH MEENA

173 AIR
ANKIT KUMAR JAIN

8 in Top 10 Selection in CSE 2021

2 AIR
ANKITA AGARWAL

3 AIR
GAMINI SINGLA

4 AIR
AISHWARYA VERMA

5 AIR
UTKARSH DWIVEDI

6 AIR
YAKSH CHAUDHARY

7 AIR
SAMYAK S JAIN

8 AIR
ISHITA RATHI

9 AIR
PREETAM KUMAR

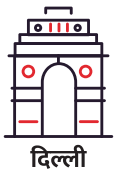
दिल्ली

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate-6, Karol Bagh Metro Station, Delhi

MUKHERJEE NAGAR CENTRE
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar, Delhi

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

1 AIR
SHUBHAM KUMAR
CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

अहमदाबाद भोपाल चंडीगढ़ गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची सीकर